

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्री-पीजी/2017/364


दिनांक 7/4/17

आदेश

पीजी 2017 में सेवारत कोटे से पात्रता हेतु कुल 11 सेवारत चिकित्सकों को प्रथम दृष्टया सेवारत कोटे में अपात्र मानते हुए परिवेदनाएं आमंत्रित की गई थी। इस संबंध में चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत परिवेदनाओं पर नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जाकर निम्नलिखित चिकित्सकों को सेवारत कोटे में अपात्रता श्रेणी से पात्रता श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है :-

क्र. सं.	फार्म संख्या	चिकित्सक का नाम	अपात्रता का कारण	पात्रता मय कारण
1.	62	डॉ. नरेश कुमार मेघवाल	वांछित सेवा पूर्ण नहीं है। बड़गांव (सराड़ा) तहसील होने के कारण शहरी क्षेत्र में आता है।	पात्र कार्यालय तहसीलदार सराड़ा उदयपुर द्वारा बड़गांव (सराड़ा) ग्राम पंचायत मुख्यालय है तहसील नहीं है एवं शहरी क्षेत्र में नहीं आता है की पुष्टि की गई है।
2.	345	डॉ. कुन्तल वशिष्ठ	वांछित सेवा पूर्ण नहीं है। निवाई तहसील होने के कारण शहरी क्षेत्र में आता है।	पात्र चिकित्सक द्वारा दिनांक 10.01.2012 से 11.06.2015 (3 वर्ष 5 माह 1 दिन) कोथुन (जयपुर-11) में ग्रामीण सेवा अवधि का इंड्राज नहीं किया गया था।
3.	360	डॉ. जगदीश प्रसाद गुर्जर	वांछित सेवा पूर्ण नहीं है। सराड़ा तहसील होने के कारण शहरी क्षेत्र में आता है।	पात्र चिकित्सक द्वारा ग्रामीण भत्ता मिलने का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया गया है एवं सरपंच ग्राम पंचायत सराड़ा एवं तहसीलदार सराड़ा द्वारा जनगणना 2011 के तहत सराड़ा की जनसंख्या 4082 होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में होन की पुष्टि की गई है।
4.	533	डॉ. नामिर खान	वांछित सेवा पूर्ण नहीं है। गांगड़तलाई तहसील होने के कारण शहरी क्षेत्र में आता है।	पात्र विकास अधिकारी कार्यालय पंचायत समिति गांगड़तलाई बांसवाड़ा एवं तहसीलदार गांगड़तलाई, बांसवाड़ा द्वारा सत्यापित प्रति में जनगणना 2011 के अंतर्गत गांगड़तलाई की जनसंख्या 3867 होने की पुष्टि की है और यह जनजातिय क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
5.	767	डॉ. योगेश कुमार अग्रवाल	वांछित सेवा पूर्ण नहीं है। गांगड़तलाई तहसील होने के कारण शहरी क्षेत्र में आता है।	पात्र विकास अधिकारी कार्यालय पंचायत समिति गांगड़तलाई बांसवाड़ा एवं तहसीलदार गांगड़तलाई, बांसवाड़ा द्वारा सत्यापित प्रति में जनगणना 2011 के अंतर्गत गांगड़तलाई की जनसंख्या 3867 होने की पुष्टि की है और यह जनजातिय क्षेत्र के अंतर्गत आती है।


क्र. सं.	फार्म संख्या	चिकित्सक का नाम	अपात्रता का कारण	पात्रता मय कारण
6.	782	डॉ. मुकेश मील	वांछित सेवा पूर्ण नहीं है। धोद तहसील होने के कारण शहरी क्षेत्र में आता है।	पात्र चिकित्सक द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत धोद सीकर से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें धोद को ग्राम पंचायत बताया है व तहसील कार्यालय धोद का वर्तमान मुख्यालय सीकर है। इसकी पुष्टि तहसीलदार धोद मुख्यालय सीकर एवं उपखंड अधिकारी धोद मुख्यालय सीकर द्वारा भी कर दी गई है।
7.	835	डॉ. सुनील शेषमा	वांछित सेवा पूर्ण नहीं है। धोद तहसील होने के कारण शहरी क्षेत्र में आता है।	पात्र चिकित्सक द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत धोद सीकर से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें धोद को ग्राम पंचायत बताया है व तहसील कार्यालय धोद का वर्तमान मुख्यालय सीकर है। इसकी पुष्टि तहसीलदार धोद मुख्यालय सीकर एवं उपखंड अधिकारी धोद मुख्यालय सीकर द्वारा भी कर दी गई है।

  
 निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
 राजस्थान, जयपुर  
 दिनांक 7/4/17

क्रमांक : प्री-पीजी/2017/364

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक (ई.एस.आई./आर.सी.एच./एड्स), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- राजस्थान।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त पत्र अविलम्ब विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त नियंत्रण अधिकारियों को ई-मेल करावें।
9. कार्यालय प्रति।

  
 निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
 राजस्थान, जयपुर